राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि/नि.सं./ 263 **दिनांक** 15/07/2020

सचिव/अध्यक्ष
सत्र 2020–21 हेतु आवेदित
नवीन निजी महाविद्यालय से सम्बन्धित संस्थाएं
राजस्थान

विषयः– आपके द्वारा सत्र 2020–21 में आवेदित नवीन निजी महाविद्यालय की कमीपूर्ति अविलम्ब प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन संस्थाओं ने सत्र 2020–21 में नवीन निजी महाविद्यालय हेतु आवेदन किया है, और उन्हें कमीपूर्ति पत्र निदेशालय से जारी किया जा चुका है, उनको सूचित किया जाता है कि यह कमीपूर्ति **दिनांक 25.07.2020** तक पूर्ण की जानी आवश्यक है। अतः इन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कर नोडल प्राचार्य से सत्यापित करवाकर निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त तिथि के उपरान्त कमीपूर्ति स्वीकार नही की जावेगी और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्राचार्य नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेज कर लेख हैं कि आपको आवंटित तहसील में आवेदित नवीन निजी महाविद्यालयो की शेष कमीपूर्ति दस्तावेज प्रमाणित कर अविलम्ब निदेशालय को प्रेषित करें। संस्था द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति दस्तावेजों को महाविद्यालय स्तर पर लंबित रखने पर हुई देरी से आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)